खरपतवार नाशक-सहनशील गैर-जीएम किस्में पूसा बासमती 1979, पूसा बासमती 1985 सीधी बुवाई के लिए उपयुक्त

उत्तर भारत के किसान अब गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित (जी एम) बासमती की दो किस्मों की खेती कर सकते हैं — पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 — जो खरपतवार के उपयोग के प्रति सहनशील हैं। कृषि वैज्ञानिकों का सुझाव है कि दोनों किस्में सीधी बुवाई के लिए भी उपयुक्त हैं, जिससे पानी और मज़दूरी की बचत होती है।

इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई ए आर आई या पूसा), नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 में एक उत्परिवर्तित एसिटोलैक्टेट सिंथेज़ (ए एल एस) जीन होता है, जिससे किसानों के लिए खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए इमाज़ेथापायर, एक व्यापक खरपतवार नाशक, का छिड़काव करना संभव हो जाता है।

भारत सरकार की फसल मानक, अधिसूचना एवं अनुमोदन केंद्रीय उप-समिति ने खेती के लिए पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 को अधिसूचित किया था। समिति ने सितंबर 2021 में अपनी बैठक के दौरान इन किस्मों को मंज़ूरी दी थी।

पूसा बासमती 1979 की खेती की सिफ़ारिश दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए और पूसा बासमती 1985 की दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश लिए की गई है। आई ए आर आई के अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों खरपतवार-नाशक सहनशील किस्मों के बीज अगले खरीफ मौसम यानी 2023 से आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे।

इन दोनों के अलावा आई ए आर आई की बासमती की तीन और किस्मों को सितंबर 2021 में खेती के लिए अधिसूचित किया गया था। ये हैं पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886।

पूसा बासमती 1847 की खेती की सिफ़ारिश दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए की गई है और पूसा बासमती 1885 की दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए। पूसा बासमती 1886 की सिफ़ारिश हरियाणा और उत्तराखंड में खेती के लिए की गई है।